			on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/15/2014-EPI]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फोटो प्रभाग, नई दिल्ली (समूह 'ग' तथा 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध ड्राईमाउंटिंग सहायक, ब्रोमाइड प्रिंटर, फिनिशर, डार्क रूम सहायक, ग्लेजर तथा ट्रिमर के पद से है, तथा फोटो प्रभाग, नई दिल्ली (प्रोडक्शन सहायक) भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक उनका संबंध प्रोडक्शन सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग में फोटो और वीडियो पत्रकार श्रेणी-I, फोटो और वीडियो पत्रकार श्रेणी-II, मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी-I तथा मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फोटो प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय, फोटोग्राफिक संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फोटो और वीडियो पत्रकार श्रेणी-I	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु.29200-92300)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति:** फोटो और वीडियो पत्रकार श्रेणी-II, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु.25500-81100) में फोटो प्रभाग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; 3. अनुभाग अधिकारी (प्रेस),	लागू नहीं होता।

			विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. फोटो और वीडियो पत्रकार श्रेणी II.	26* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक	**आवश्यक:** (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या बिजनेस फोटोग्राफी में डिप्लोमा; (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एडेड फोटो या वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। **वांछनीय:** (i) डिजिटल फोटोग्राफी में अनुभव जिसमें चित्रों का संग्रहण, अनुक्रमण, सूचीकरण और स्कैनिंग शामिल है। (ii) विभिन्न प्रकार के बड़े फॉर्मेट इंकजेट या डिजिटल फोटो प्रिंटिंग

					शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख के अनुसार होगी।	मशीन का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अहर्ताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत, प्रोन्नति द्वारा पचहत्तर प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** फोटो प्रभाग में मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी-I, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु.19900-63200) के स्तर -2 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के आठ वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; (iii) अनुभाग अधिकारी (प्रेस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें**	लागू नहीं होता।

169

			जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**निम्नलिखित होंगे:** (i) निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; (iii) अनुभाग अधिकारी (प्रेस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी- I	15* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित	**आवश्यक:** (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो या डिजिटल प्रयोगशाला से फोटो सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) डिजिटल मीडिया में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। **वांछनीय:** (i) वृत्तिक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने और अपरिष्कृत फुटेज से संपादित वीडियो बनाने की योग्यता। (ii) बेसिक कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

					करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख के अनुसार होगी।	**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलता - पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत; प्रोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती।	**प्रोन्नति:** फोटो प्रभाग में मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी-II नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष जिन्होंने वेतन मेंट्रिक्स (रु.18000-56900) के स्तर-1 में सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियोँ के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियोँ के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; (iii) अनुभाग अधिकारी (प्रेस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) निदेशक या संयुक्त	लागू नहीं होता।

				से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; (iii) अनुभाग अधिकारी (प्रेस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.मल्टीमीडिया सहायक श्रेणी-II।	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक फोटोग्राफी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; (iii) फोटो संपादन के लिए फोटोशॉप के उपयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। **वांछनीय:** (i) फोटो वाशिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग और फोटोग्राफ की गणना का अनुभव। (ii) डिजिटल स्टिल सिंगल-लेंस रिफ्लेक्स कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा के संचालन की क्षमताऐं तथा ज्ञान। (iii) स्थान पर काम करना, शॉट तैयार करना, प्रकाश का महत्व, पर्यावरणीय चित्रांकन, जनसंपर्क फोटोग्राफी, अपने काम के प्रस्तुतीकरण का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

					तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख के अनुसार होगी।	**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलता - पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय – सदस्य; (iii) अनुभाग अधिकारी (प्रेस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एम-26011/7/2021-प्रेस-भाग(1)]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd July, 2025

G.S.R. 90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Photo Division, New Delhi (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Dry Mounting Assistant, Bromide Printer, Finisher, Dark Room Assistant,Glazer and the Trimmer and the Photo Division New Delhi (Production Assistant) Recruitment Rules, 1989, in so far as it relates to the post of Production Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photo and Video Journalist Grade I, Photo and Video Journalist Grade II, Multimedia Assistant Grade I and Multimedia Assistant Grade II in the Photo Division of the Ministry of Information and Broadcasting, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Photo Division, Press Information Bureau, Photographic Cadre (Group 'C'posts), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay-matrix.-**The number of the said posts, their classification

and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affects reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay-matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Photo and Video Journalist Grade-I.	04* (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted. Non-Ministerial.	Level-5in the pay-matrix (Rs. 29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion.	**Promotion:** Photo and Video Journalist Grade II in level-4 in the pay- matrix (Rs.25500-81100) in the Photo Division with five	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

			years of service rendered after appointment to the post on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	consisting of: 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Photo and Video Journalist Grade II.	26* (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay-matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) 12th pass from a recognised Board or university; (ii) diploma in Photography or Digital Photography or Videography or BusinessPhotography from a recognised institute; (iii) diploma certificate in computer aided Photo or Video editing from a recognised institute. **Desirable:** (i) experience in digital photography including archiving, indexing, cataloging and scanning of images. (ii) experience of different type of large format inkjet or digital photo printing machine. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes

						or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Twenty five percent by Direct recruitment; Seventy five percent by Promotion, failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Multimedia Assistant Grade I in level-2 in the pay-matrix (Rs.19900-63200) in the Photo Division with eight years of service rendered after appointment to the post on a regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Multimedia Assistant Grade I.	15* (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay-matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the	**Essential:** (i) 12th pass from a recognised Board or university; (ii) three years' experience as Photo Assistant from a reputed Photo studio or digital laboratory; (iii) certificate course in Digital Media. **Desirable:** (i) ability to use professional video editing software and create edited video fromraw footage. (ii) knowledge of Basic

					Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Computer operations. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Seventy five percent by Direct recruitment; Twenty five percent by Promotion, failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Multimedia Assistant Grade II in level-1 in the pay-matrix (Rs.18000-56900) in Photo Division with three years of service rendered after appointment to the post on regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member.	Not applicable.

161

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Multimedia Assistant Grade II.	11* (2025). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay-matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) Matriculation pass from a recognised Board or Institute. (ii) Certificate course in basic Photography from a recognised Institute; (iii) Certificate course in using Photoshop for photo editing. **Desirable:** (i) experience in Photo washing, drying, trimming, and numbering of photographs. (ii) knowledge and capabilities to handle digital still Single-Lens ReflexCamera and Digital Video Camera. (iii) experience in working on location, setting up shot, importance of light, environmental portraiture, public relation photography, presenting your work. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director or Joint Director (Administration), Press Information Bureau – Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Press Information Bureau – Member; 3. Section Officer (Press), Ministry of Information and Broadcasting – Member.	Not applicable.